रा प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत SDO डूंगला मुकाम डूंगला

वीरमा बनाम वरदी

मुकद्मा बटवारा धारा 53 RTA नं. 16/2025 सन्

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/3/26	तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/ 2026 दिनांक 18-3-2026 के द्वारा प्रकरण संख्या 16/2025 में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाने से पत्रावली को संगिह से तलब की गई, पत्रावली का एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वकील वादी को अवगत कराया गया। वकील वादी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन से खाता अलग कर अलग-अलग निम्नानुसार खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।	
(1)	वीरम पुत्र काना मीणा सा. सालेड़ा तहसील वल्लभनगर जिला- उदयपुर खातेदार	
	आराजीनम्बर — रकबा हे.	
	500 मी. — 0.1992	
	किता 1 — 0.1992	
(2)	नाबालिग उदय लाल पुत्र गोपीलाल, संरक्षक सरपरस्त माता वरदी बाई मीणा हिस्सा 1/6, नाबालिग चांदी पुत्री गोपीलाल संरक्षक सरपरस्त माता वरदी बाई हिस्सा 1/6, नाबालिग ममता पुत्री गोपीलाल संरक्षक सरपरस्त माता वरदी बाई हिस्सा 1/6, मोल्या पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/6, वरदी बाई पत्नी गोपीलाल हिस्सा [illegible] पुत्री गोपी हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा. [illegible]	
	आ.नं. — रकबा	
	500/1 — 0.0664	
	किता 1 — 0.0664	
	उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा मूलि चेक संलग्न पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार चेक नम्बर तो काम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner